न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 06 / 2023

थानाधिकारी पुलिस थाना खोह, जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

बनाम

प्रवीण कुमार उर्फ पवन पुत्र खुशीराम जाति बघेल उम्र 25 साल निवपसी महडरपुर थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर वाहन स्वामी

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) वावत एफ.आई.आर न. 05 / 2023 धारा 5 / 8 में जप्त वाहन के वावत।

उपस्थित :–

1–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2–श्री योगेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 3.8.2023

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना खोह, जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 2.1.23 जरिये मुखबिर सूचना मिली की डीग की तरफ से एक पिकअप गाडी आरही है जिसमे गौवंश भरे हुये हैं जो गौवध के लिए हरियाणा की तरफ जायेगी। दौराने नाकाबन्दी एक पिकअप रंग सफेद तेज गति से डीग की तरफ से आई जिसे रोककर चैक किया गाडी चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रवीण कुमार उर्फ पवन पुत्र खुलीराम जाति बघेल निवासी ग्रांम मडरपुर पुलिस थाना उद्योग नगर जिला भरतपुर होना बताया व पिकअप गाडी रजि0 नं. आरजे 05 जीवी 3849 को चेक किया तो बाडी में 03 गौवंश जिनमें 02 गाय व 01 वछिया भरे मिले, जिनके बारे में पूछा तो उक्त गौंवश को बध हेतु हरियाणा ले जाना बताया। अप्रार्थी का यह कृत्य अपराध धरा 5 / 8 आरबीए एक्ट की तारीफ में आना पाया जाने गौंवश को बतौर सबूत एवं गाडी आरजे 05 जीबी 3849 को जप्त किया गया। कार्यवाही करते हुये जप्त गौंवश को जडखोर गौशाला

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

जमा कराया जाकर रसीद प्राप्त की गई, जप्तशुदा वाहन को सुरक्षार्थ थाना परिसर में खडा किया गया। अप्रार्थी पर दिनांक 2.1.23 को मुकदमा नं0 05 / 23 धारा 5 / 8 आरबीए एक्ट में कायम किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मुलजिम अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 5 / 8 आरबीए एक्ट प्रमाणित है। अतः जप्त शुदा वाहन नं आरजे 05 जीबी 3849 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आये उन्हें प्रार्थना पत्र प्रकरण धारा 6ए गौवंश अधिनियम की नकल दी गई । अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र जवाब पेश किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से ए.पी.पी. ने अपनी बहस में हमारा ध्यान थानाधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि की ओर आकर्षित करते हुये बताया कि पुलिस थाना ने दिनांक 2.1.23 को मौके पर पहुंच कर नाकावन्दी की गई, पुलिस द्वारा डीग की तरफ से आती हुई गाड़ी पिकअप रजि. आरजे 05जीबी 3849 रोक कर जांच की गई। गाडी में 3 गौवंश जिनमें 2 गाय व 1 बछिया भरे मिले। जिनके बारे में अप्रार्थी चालक ने उक्त गौंवश को वध हेतू हरियाणा ले जाना बताया। अप्रार्थी के खिलाफ थाना में एफआईआर नं. 05 / 2023 धारा 5 / 8 आरबी एक्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा जप्त गौवंश को जडखोर गौशाला में जमा कराया गया है। ए.पी.पी. का यह भी कहना है कि अप्रार्थी के पास गौवंश को राजस्थान सीमा से अन्य राज्य हरियाणा के लिये गौवंश ले जाने का कोई अधिकृत परमिट नहीं था। राजस्थान सीमा से अन्य राज्य की सीमा में गौवंश को परिवहन करने पर प्रतिबन्ध किया हुआ है। जप्त वाहन पिकअप रजि. आरजे 05जीबी 3849 गौंवश परिवहन में लिप्त पाई गई, जिससे गौंवश को राजस्थान सीमा से परिवहन कर हरियाणा राज्य में ले जाया जारहा था। ए.पी.पी. का कहना है कि अप्रार्थी को गौवंश अपने रिश्तेदार के गांव कांमा पहुंचाने जारहा था, ये झूठ है, आज दिनांक तक जप्त गौवंश को छुड़ाने या सुपुर्दगी में लेने के लिये श्रीमान के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। ए.पी.पी. का यह भी तर्क है गौवंश को तस्करी कर गौवध के लिये हरियाणा राज्य में परिवहन करने पर राजस्थान सीमा पर अक्सर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, उपरोक्त गौतस्कर के वाहन के खिलाफ जुर्म धारा 5 व 8 आरबीए एक्ट 1995 का प्रमाणित होता है। अप्रार्थीगण का यह कृत्य अपराध धारा 5 / 8 एवं धारा 6ए के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधिनियम स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन को राजसात किया जावे।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

.....3

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों में बताया कि अप्रार्थी ने गौवंश अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं किया है। अप्रार्थी अपने रिश्तेदार लक्ष्मन सिंह निवासी छिनछिनवाडी तहसील कांमा जिला भरतपुर की गाय व उसकी बछिया को पहुंचाने जा रहा था, रास्ते में पुलिस वालों ने रोक लिया और उक्त अधिनियम के तहत जबरेन मुकदमा बना दिया है। प्रार्थी जन्म से ही हिन्दू है वह ऐसा कृत्य क्यों करेगा। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अप्रार्थी ने वाहन को जुलाई 2013 में खरीदा है तभी से वाहन चला रहा है अप्रार्थी के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने परिवार का उक्त वाहन से ही माल आदि का परिवहन कर पालन पोषण कर रहा है उसके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ धारा 6ए की कार्यवाही समाप्त की जाकर जप्त वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) का अध्ययन किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:–

"……Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provided under section 8 of the Act for person committing the said offence……."

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :–

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

1—क्या जप्त वाहन से गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन किये जाने लिप्त था ?
2—क्या अप्रार्थी0 वाहन मालिक के पास गौवंश को राजस्थान सीमा क्षेत्र से बाहर परिवहन करने का सक्षम अधिकारी का परमिट था?
3—क्या प्रार्थी गौंवश को अपने रिश्तेदार के गांव कांमा पहुचांने जा रहा था।

1,2व 3 — राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राजस्थान राज्य की सीमा के किसी भी स्थान से अन्य राज्य में किसी भी स्थान को निर्यात परिवहन प्रतिवन्धित किया हुआ है। थाना अधिकारी खोह ने ने दिनांक 2.1.2023 को गौवंश को गौतस्करी कर ले जाने की सूचना पर उक्त बोलरो पिकअप को सूचना मिलने पर मौके पर जाकर कर चैक किये जाने पर उक्त वाहन पिकअप न0 आरजे 05 जीवी 3849 में 3 गौवंश मिले। वाहन में मौजूद अप्रार्थी ने पूछताछ में गौवंश को राजस्थान से हरियाणा गौकसी के लिये जाना बताया गया है। उक्त वाहन द्वारा प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन कर ले जाये जाने कोई सक्षम अधिकारी की स्वीकृति परमिशन नही थी। पुलिस थाना द्वारा गौवंशीय पशु को राजस्थान की सीमा से हरियाणा राज्य में परिवहन करते हुये जप्त किया गया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का अपने जबाब बहस में यह कहना कि वाहन में जप्त 3 गौवंश को अप्रार्थी अपने रिश्तेदार के पास कांमा पहुंचाने जारहा था। अप्रार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता क्यों कि पुलिस थाना द्वारा की गई जप्ती कार्यवाही के समय वाहन में अप्रार्थी के अलावा गौवंश का कोई मालिक नहीं था, और नाहीं अप्रार्थी ने यह बताया कि कथित गौवंश को किस स्थान से क्रय किया जाकर परिवहन कर अपने रिश्तेदार के यहॉ ले जा रहा था। दूसरा कथित गौंवश मालिक ने हमारे समक्ष गौंवश को छुड़ाने या सुपुर्दगी में लेने के लिये कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है यानि अप्रार्थी का अपने जबाब में यह कहना कि गौवंश को रिश्तेदार के यहॉ ले जारहा था ये उसकी बाद की सोच के तहत हैं। जबकि प्रार्थी एस.एच.ओ द्वारा प्रकरण के साथ प्रस्तुत जप्ती वाहन, बयान गवाहन मौका, फर्द जप्ती गौवंश आदि के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त जप्त वाहन राजस्थान सीमा से अन्य राज्य हरियाणा की सीमा में गौवंश परिवहन करने में लिप्त था, अप्रार्थीगण वाहन का यह कृत्य राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 5,6 व 8 का उलंघन है तथा दण्डनीय अपराध है।

.....5

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उक्त अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए का अवलोकन किया गया :–

3– Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत जप्त वाहन पिक संख्या आरजे 05 जीबी 3849 वाहन पर राशि 300000/– (तीन लाख रुपये) जुर्माना (Fine) कायम की जाना एवं जुर्मान राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है। अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान को मध्य नजर रखते हुये जप्त वाहन पिक संख्या आरजे 05 जीबी 3849 को राजसात (confiscate) किये जाने से पूर्व वाहन मालिक प्रार्थी को विकल्प दिया जाता है कि वे 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 300000/– (तीन लाख रुपये,) राजकोष में जमा करादें तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना खोह, को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 3.08.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर